बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न	
श्री जय कुमार सिंह, स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–02.08.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पुन–6 के संबंध में। क्या मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	**श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा,** मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना
तारांकित प्रश्न	**उत्तर**
(1) क्या यह बात सही है कि उत्तराखंड में आयी प्राकृतिक आपदा में बिहार के कितने लोग मारे गए, कितने लापता है अथवा अभी तक घर वापस नहीं लौटे है तथा अभी तक कितने लोगों को मुआवजा दिया गया ?	वस्तुस्थिति यह है कि आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC) उत्तराखंड आपदा पूर्व से ही 24X7 अवधि में कार्य कर रहा है। विभागीय आदेश सं0–2460 दिनांक–22.06.2013 द्वारा देहरादून (उत्तराखंड) में प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नेतृत्व में बिहार के तीर्थ यात्रियों की सुविधा एवं सहायता हेतु शिविर कार्यालय की स्थापना की गई। SEOC में 17.06.2013 से राज्य के लोगों से प्राप्त सूचना के आधार पर उत्तराखंड स्थित सहायता शिविर, उत्तराखंड राज्य सरकार के नियंत्रण कक्ष एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण कक्ष से लगातार समन्वय कर बिहार राज्य के उत्तराखंड आपदा में फँसे/लापता तीर्थयात्रियों को निकालने की कार्रवाई की गई। कुल प्राप्त 820 लोगों की सूचना के आधार पर वर्त्तमान में मात्र 58 व्यक्ति लापता है। शेष लोग अपने घर पहुँच चुके है। उत्तराखंड में घटित प्राकृतिक आपदा की घटना में राज्य के मृत व्यक्तियों के आश्रितों को ₹ 1.00 लाख (एक लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने हेतु संकल्प सं0–2881 दिनांक–12.07.2013 द्वारा प्रावधान किया गया है।
(2) यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस त्रासदी के शिकार हुए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का विचार रखती है ?	उत्तराखंड में घटित प्राकृतिक आपदा की घटना में राज्य के मृत व्यक्तियों के आश्रितों को ₹ 1.00 लाख (एक लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने हेतु संकल्प सं0–2881 दिनांक–12.07.2013 द्वारा प्रावधान किया गया है। इस आपदा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को यदि उत्तराखंड सरकार से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो समाचार पत्रों में फोटोग्राफ के साथ लापता व्यक्तियों की सूचना देने के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराया जायगा तथा 30 दिनों के अन्दर उनके जीवित होने की सूचना न मिलने की स्थिति में उनके निकटतम आश्रित को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 1 लाख रूपये तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से भी 1 लाख रूपये के अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जायगा। यह अनुदान उत्तराखंड सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के अतिरिक्त होगा।

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04 / स0ता0प्र0–107 / 2013 / ..... / आ0प्र0, दिनांक –

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को उनके ज्ञापांक –1629 दि0– 23.07.2013 के क्रम में 04 (चार) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 / –

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक –04 / स0ता0प्र0–107 / 2013 / 3406 / आ0प्र0, दिनांक – 7/8/13

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आ0प्र0 विभाग को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी